

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(2)( )स्था/एसीडीपीओ/मबावि/02/ 91104

जयपुर,दिनांक: 28-5-18

संशोधित अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 74906 दिनांक 2.5.18 द्वारा दिनांक 01.04.2012, 01.04.2013, 01.04.2014 एवं 01.04.2015 को नियमित रूप से चयनित/कार्यरत सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों की जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

- 1-दिनांक 1.4.12 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 101 पर अंकित श्रीमती उषा कुमारी का नाम क्रम संख्या 94 पर अंकित श्रीमती लवलीन शर्मा के नीचे 94 ए पढा जावे।
  - 2-दिनांक 1.4.13 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 100 पर अंकित श्रीमती उषा कुमारी का नाम क्रम संख्या 93 पर अंकित श्रीमती लवलीन शर्मा के नीचे 93 ए पढा जावे।
  - 3-दिनांक 1.4.14 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 81 पर अंकित श्रीमती उषा कुमारी का नाम क्रम संख्या 74 पर अंकित श्रीमती लवलीन शर्मा के नीचे 74 ए पढा जावे।
  - 4-दिनांक 1.4.15 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 66 पर अंकित श्रीमती उषा कुमारी का नाम 59 पर अंकित श्रीमती लवलीन शर्मा के नीचे 59 ए पढा जावे।
- शेष यथावत रहेगा

उपनिदेशक(प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर,दिनांक: 28-5-18

क्रमांक:एफ.1(2)( )स्था/एसीडीपीओ/मबावि/02/ 91105-141

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।

2-एसीपी मुख्यालय को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

3-संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ..... बाल विकास परियोजना  
अधिकारी, ..... जिला.....।

4-व्यक्तिगत पत्रावली।

5-आदेश पत्रावली।

उपनिदेशक(प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर।